

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बहराइच।

पत्रांक: ४०६/स्टाम्प शुल्क/कायाकल्प/नि०का०/ई-टेण्डर/2025-26 दिनांक: ०५ अगस्त, २०२५

ई-निविदा सूचना

०२ प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के अन्तर्गत वर्ष २०२५-२६ में नगर पालिका परिषद, बहराइच के स्वीकृत कार्यों में से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु जी०एस०टी० रहित आनलाइन निविदायें ई-टेण्डर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक ०६ अगस्त २०२५ को अपराह्न २:३० बजे से दिनांक ०७ अगस्त, २०२५ को अपराह्न ३:०० बजे तक निर्माण कार्य के लिए वर्ष २०२५-२६ में नगर पालिका परिषद, बहराइच के साथ-साथ अन्य विभागों में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से प्रतिशत दर के आधार पर निम्नलिखित नियम एंव शर्तों के अधीन आमन्त्रित की जाती है। उक्त अवधि में ही ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें ई-टेण्डर पोर्टल <http://etender-up-nic-in> पर डाउनलोड करके अपलोड की जा सकती है। कार्य की १० जमानत धनराशि आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट के माध्यम से नगर पालिका परिषद बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा डिगिहा स्थित खाता संख्या-५०३८३८९४०३३ IFSC Code-IDIB000C601 में अनलाइन जमा की जायेगी अथवा एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/एन०एस०सी०/सी०डी०आर० जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच के पदनाम से बन्धक हो, भी स्वीकार किये जायेंगे। निविदा मूल्य आनलाइन ही जमा करना होगा। आनलाइन अपलोड की गयी निविदा से सम्बन्धित अभिलेखों (जैसे जमानत धनराशि/निविदा मूल्य जमा रसीद, हैसियत/चरित्र प्रमाण-पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि) को ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक ०७ अगस्त, २०२५ को अपराह्न ०४:०० बजे आनलाइन खोली जायेगी। अपलोड की गयी ई-निविदाओं में से किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बहराइच को होगा। तकनीकी बिड में अर्ह पाये जाने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई-टेण्डर पोर्टल पर खोलने हेतु अपलोड की जायेंगी। सम्बन्धित निविदा सूचना नगर पालिका परिषद, बहराइच की वेब साइट www.bahraichnpp.in पर उपलब्ध है। कार्य का विवरण, अनुमानित लागत, धरोहर धनराशि/जमानत धनराशि, निविदा मूल्य सहित विवरण निम्नवत् है :—

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जीएसटी रहित)	BOQ की धनराशि	१० प्रतिशत धरोहर/जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	१८ GST %	ई-टेण्डरिंग शुल्क	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
१	२	४		५	६	७	८	९	१०
१	पूर्व माध्यमिक विद्यालय अकबरपुरा के कायाकल्प का कार्य।	११,१०,००१.००	११,१०,००१.२२	१,११,०००.००	१११०.००	२००.००	२५०.००	१५६०.००	तीन माह

नियम व शर्ते—

- ई-निविदादाता द्वारा उक्त कार्य की धरोहर धनराशि/जमानत धनराशि नगर पालिका परिषद बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा डिगिहा स्थित खाता संख्या ५०३८३८९४०३३ IFSC Code IDIB000C601 में आर०टी०जी०एस नेफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा अथवा एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में जमा करके जमा रसीद/यूटी०आर० नम्बर ई-निविदा पोर्टल पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। निविदा मूल्य आनलाइन ही जमा करना होगा।
- ई-निविदादाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (जो निर्धारित समयावधि के अन्दर का हो) एंव निर्माण कार्यों हेतु किसी भी विभाग में फर्म के पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र, जी०एस०टी०, पैन कार्ड, श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा रु० १००.०० के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित शपथ पत्र ई-टेण्डर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा मूल शपथ पत्र एंव आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट की मूल जमा रसीद कार्यालय में जमा करना होगा।
- समस्त निविदयें ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जायेंगी, अन्य किसी माध्यम से कोई भी निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- निविदादाता को १० प्रतिशत जमानत धनराशि आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा अथवा एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/एन०एस०सी० /सी०डी०आर० जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बहराइच के पक्ष में बन्धक हो, भी स्वीकार किये जायेंगे। किन्तु निविदा मूल्य की धनराशि पालिका के उक्त वर्णित बैंक खाते में आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। अन्य किसी के बैंक खाते से जमा की गयी धनराशि मान्य नहीं होगी।
- ठेकेदार/फर्म का जी०एस०टी० में एवं श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (नगर पालिका परिषद बहराइच के पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को छोड़कर) को अनुबन्ध से पूर्व नगर पालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा तदोपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की जांच ठेकेदार को अपने खर्च पर स्वयं करानी होगी।
- निविदा की धनराशि में १८ प्रतिशत जी०एस०टी० सम्मिलित नहीं है, जिसका भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- उक्त कार्य हेतु कम से कम तीन-तीन निविदायें समस्त औपचारिकताओं सहित आनलाइन प्राप्त होने पर ही न्यूनतम निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

11. निविदा की विस्तृत जानकारी नगर पालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
12. किसी भी पंजीकृत ठेकेदार का ठेका स्वीकृत होने/ कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात यदि कभी भी संज्ञान में आता है कि सम्बंधित किसी मी अभिलेख (प्रमाण-पत्रों) /नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनहू था अथवा सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
13. नगर पालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को छोड़कर निविदा में भाग लेने वाले अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को निर्माण कार्य के सम्बंध में पर्याप्त अनुभव प्रमाण-पत्र भी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
14. स्थलीय सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा तत्काल कार्य को मानक के अनुरूप निर्देशानुसार तत्काल ठीक कराना होगा अन्यथा कराये गये कार्य का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. प्राप्त किसी भी ई-निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। इस सम्बंध में किसी भी ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदा मूल्य नान रिफण्डेबुल है।
16. उक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत आगणन के अनुसार ही स्थल पर मानक के अनुरूप गुणवत्ता परक कार्य निविदादाता को कराना होगा।
17. कराये गये कार्य में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूट-फूट होती है तो निर्माण कार्य के पूर्णतः की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
18. स्वीकृत कार्य को अनुमोदित आगणन की धनराशि पर ही पूर्ण कराया जायेगा।
19. स्थल पर कार्य के प्रगति पर होने अथवा पूर्ण होने के उपरान्त शासन द्वारा अनुदान की उपलब्धता के आधार पर एवं उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
20. तकनीकी बिड में अर्ह पायी गयी निविदाओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई-टेप्टर पोर्टल पर खोली जायेंगी।
21. प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग-5 उ०प्र०० शासन लखनऊ के पत्र सं-२४वीआई०पी०(१)/नौ-५- २०१७-१२०बजट/२०१३ दिनांक २४.०८.२०१७ के प्रस्तर-२ में दिये गये आदेश के अनुपालन में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात ०५ वर्ष का अनुरक्षण/रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी। शासनादेश सं-११५९३/नौ- ५-२०२१-१४२ सा/२०२१ दिनांक ०७ जनवरी, २०२२ में निहित निर्देशों के अनुसार परमारमेन्स गारन्टी के रूप में ०५ वर्ष रोकने के उपरान्त सङ्क के सुचित रखरखाव होने की दशा में परफारमेन्स गारन्टी के रूप में रोकी गयी धनराशि भुगतान की जायेगी।
22. उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
23. यदि उक्त तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में की जायेगी।

(प्रमिता सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

Sudha Devi,
(सुधा देवी)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

पृ०सं० एवं दिनांक—उपरोक्त
प्रतिलिपि—

- 1— जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— अपर जिलाधिकारी (वि/रा०)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— नगर पालिका परिषद बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(प्रमिता सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।